राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक– प.4(03)/आ.कृ./कृ.यं/2018–19/9588-9742 दिनांक : 7/3/19

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद..................................।

विषयः– सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (एस.एम.ए.एम.) योजनान्तर्गत वर्ष 2018–19 के दिशानिर्देशों में संशोधन बाबत्।

संदर्भः– भारत सरकार के पत्रांक प.3–11/2018–एम एण्ड टी(आई एण्ड पी) दिनांक 21.08.2018 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (एस.एम.ए.एम.) योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के द्वारा संशोधित दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। पूर्व दिशानिर्देशों में राशि रू. 25,000/– से अधिक के कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु भारत सरकार के मान्यता प्राप्त परीक्षण संस्थानों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से कॉमर्शियल टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता थी। प्राप्त संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार उक्त सीमा को बढा कर रू. 35,000/– कर दिया गया है।

अन्य दिशा निर्देश कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कृषि आयुक्तालय से वर्ष 2018–19 के लिए जारी सामान्य दिशानिर्देश पत्रांक प4(IV)/यंत्र/2017–18/1511–1709 दिनांक 21.06.2018 के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जावे।

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त,कृषि

क्रमांक– प.4(03)/आ.कृ./कृ.यं/2018–19/9588-9742 दिनांक : 7/3/19

प्रतिलिपी– निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. मुख्य सांख्यिकी अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
2. अति0 निदेशक कृषि (आदान/विस्तार/अनुसंधान) मु0, जयपुर।
3. परियोजना निदेशक, कृषि (विस्तार) सी.ए.डी. कोटा।
4. समस्त खंडीय संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार/तिलहन)..।
5. समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार/ईगानप, बीकानेर), जिला परिषद्.................................।
6. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
7. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) ....।
8. सहा0 जनसम्पर्क अधिकारी/प्रभारी, किसान कॉल सेन्टर, मुख्यालय, जयपुर।
9. आरक्षी पत्रावली।

(एस. एम. शकील)
उप निदेशक, कृषि (अभि0)